

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

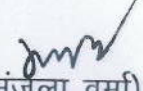
क्रमांक:- एफ.2 (क) (एम-325) अलेसे-1/557

दिनांक:- 09.08.18

कार्यालय आदेश

आदेश क्रमांक एफ. 2 (क) (सेवानिवृत्त) अलेसे-1/1107 दिनांक 15.01.2018 में क्रम संख्या 63 पर अंकित श्री महावीर प्रसाद नामदेव, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 (लिंग न. 907) के अर्द्धवार्षिक आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.08.2018 से सेवानिवृत्त किये जाने के आदेश जारी किये गये थे, के क्रम में वित्त विभाग (नियम) शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12 (6) वित्त/नियम/ 2008 दिनांक 24.03.2015 के अनुसरण में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री नामदेव, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


(मंजुला वर्मा)
निदेशक

दिनांक:- 09.08.18

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एम-325) अलेसे-1/557

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, कोटा।
2. अधीक्षक, जे0के0 लॉन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, कोटा।
3. कोषाधिकारी, कोटा
4. श्री महावीर प्रसाद नामदेव, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड-1, कार्यालय जे0के0 लॉन चिकित्सालय, कोटा।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
6. उपनिदेशक(एसीपी), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में Updation करने हेतु।
7. निजी पत्रावली/गोपनीय शाखा/पदस्थापन सीट/गार्ड फाइल।


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)